जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

सहायक अभियन्ता ई–जोन पंचम का कार्यालय नयी जगह

जयपुर, 17 जून। जयपुर शहर वृत में श्री जी की मोरी स्थित उपखण्ड ई–जोन पंचम (ब्रह्मपुरी) कार्यालय 18 जून, 2013 से स्थानान्तरित होकर नहर के गणेश जी मन्दिर के सामने ब्रह्मपुरी विद्युत उपकेन्द्र परिसर में संचालित होगा। नये कार्यालय का दूरभाष नम्बर 0141–2674139 है।

जयपुर शहर वृत के अधीक्षण अभियन्ता श्री नवीन अरोड़ा ने बताया कि आगामी 18 जून, 2013 से इस उपखण्ड/सहायक अभियन्ता के अधीन आने वाले उपभोक्ता अपने विद्युत सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु नये कार्यालय में सम्पर्क करें।

उल्लेखनीय है कि इस सहायक अभियन्ता के कार्य क्षेत्र में गूजर घाटी, परसरामपुरी, न्यू इन्द्रा कॉलोनी, राजीवपुरी, जल महल के सामने का क्षेत्र, नगर निगम कॉलोनी, गोविन्द्र नगर (पश्चिम), कागदीवाड़ा, शंकर नगर, मंगोड़ी वालों की बगीची के पीछे का क्षेत्र, मंगला मार्ग, ब्रह्मपुरी, छोटा–बड़ा अखाड़ा, गेटोर की छतरी, मोहन नगर, चॉवरिया मार्ग, नाहर गढ़ किले के नीचे, हरिजन बस्ती, रामखोल नदी ऐरिया, नृसिंह कॉलोनी एवं आस पास के क्षेत्र आते है।

———–

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 48/2013

जयपुर जिला वृत में विद्युत चौपाल का आयोजन 18 जून को

जयपुर, 17 जून। जयपुर जिला वृत में ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से सम्बन्धित समस्याओं के मौके पर ही समाधान के लिए 33/11 केवी. के पच्चीस सब–स्टेशनों पर मंगलवार 18 जून, 2013 को विद्युत चौपाल का आयोजन किया जाएगा।

जयपुर जिला वृत के अधीक्षण अभियन्ता श्री एस0 पी0 शर्मा ने बताया कि मंगलवार 18 जून, 2013 को 33/11 केवी0 उप–केन्द्र सायपुरा, खोरा बिसल, गोपालगढ़, ढिंडोल, हाथोज, नायला, डाबला खुर्द, दौसरा, दहलाला, बेगस, रीको द्वितीय सब–स्टेशन द्वितीय, चौमूं, नांगल कोजू, धोबलाई, रामपुरा, अणतपुरा, सामोता का बास, डूंगरी खुर्द, जोबनेर, गागरडू, बोबास, माधो का बास, भाबरु, रामसिंहपुरा एवं बड़ नगर उप–केन्द्रों पर विद्युत चौपाल आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि विद्युत चौपालों में बिजली उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन, शिफ्टिंग, लोड बढाने, मीटर, बिजली बिल, वोल्टेज, ट्रांसफार्मर जलने, ढीले तारों सम्बन्धी एवं अन्य शिकायतों का यथा सम्भव मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जिन समस्याओं का समाधान मौके पर संभव नही होगा, उनका दिए गए निर्धारित समय में समाधान किया जाएगा।

———–

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 49/2013